राजस्थान सरकार

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर, बुहाना

पीठासीन अधिकारी – सुनील कुमार चौहान, आर.ए.एस.

मुकदमा नम्बर– 364 / 2022 GCMS No. 2022/579

1. ओमप्रकाश उर्फ प्रकाश पुत्र काना उर्फ छोटूराम उम्र 70 साल जाति जाट निवासी कुहाड़वास तहसील बुहाना जिला झुन्झुनूं, राज0
2. वेदपाल पुत्र भोलाराम उम्र 52 साल जाति जाट निवासी कुहाड़वास तहसील बुहाना जिला झुन्झुनूं, राज0

.......आवेदकगण

<u>ब–ना–म</u>

1. चरण सिंह पुत्र महताब जाति जाट निवासी कुहाड़वास तहसील बुहाना जिला झुन्झुनूं, राज0
2. निम्बो देवी पत्नी महताब जाति जाट निवासी कुहाड़वास तहसील बुहाना जिला झुन्झुनूं, राज0
3. मुन्नी पुत्री महताब पत्नी रतन सिंह जाति जाट निवासी कुहाड़वास तहसील बुहाना जिला झुन्झुनूं, राज0 हाल आबाद गहली तहसील नारनौल जिला महेन्द्रगढ़, हरि0
4. रामपाल पुत्र महताब जाति जाट निवासी कुहाड़वास तहसील बुहाना जिला झुन्झुनूं, राज0
5. सुनिता पुत्री महताब पत्नी राजरूप जाति जाट निवासी कुहाड़वास तहसील बुहाना जिला झुन्झुनूं, राज0 हाल आबाद गहली तहसील नारनौल जिला महेन्द्रगढ़, हरि0
6. सुनिल पुत्री महताब पत्नी विनोद जाति जाट निवासी कुहाड़वास तहसील बुहाना जिला झुन्झुनूं, राज0 हाल आबाद ढाढोत तहसील व जिला महेन्द्रगढ़, हरि0
7. सुशीला पुत्री महताब पत्नी राजेश जाति जाट निवासी कुहाड़वास तहसील बुहाना जिला झुन्झुनूं, राज0 हाल आबाद ढाढोत तहसील व जिला महेन्द्रगढ़, हरि0
8. किताबो पत्नी अमीलाल जाति जाट निवासी कुहाड़वास तहसील बुहाना जिला झुन्झुनूं, राज0
9. सुरेश
10. विजय
11. सत्येन्द्र पुत्रान अमीलाल जाति जाट निवासी कुहाड़वास तहसील बुहाना जिला झुन्झुनूं, राज0
12. सन्तोष पुत्री अमीलाल जाति जाट निवासी कुहाड़वास तहसील बुहाना जिला झुन्झुनूं, राज0
13. आर्यन पुत्र कर्ण सिंह जाति जाट निवासी कुहाड़वास तहसील बुहाना जिला झुन्झुनूं, राज0
14. गजेन्द्र सिंह पुत्र कर्ण सिंह जाति जाट निवासी कुहाड़वास तहसील बुहाना जिला झुन्झुनूं, राज0
15. गरिमा पुत्री कुलदीप सिंह जाति जाट निवासी कुहाड़वास तहसील बुहाना जिला झुन्झुनूं, राज0

Signature Not Verified
Digitally signed by Sunil Kumar Chouhan
Date: 2023.09.22 12:31:24 IST
Reason: SelfAttested

(सुनील कुमार चौहान)
उपखण्ड अधिकारी बुहाना
जिला झुन्झुनूं (राज.)

उपखण्ड अधिकारी जिला झुंझुनूं (राज.)

16. घनश्याम पुत्र कुलदीप सिंह जाति जाट निवासी कुहाड़वास तहसील बुहाना जिला झुन्झुनूं, राज0
17. जगतवीर सिंह पुत्र फुल सिंह जाति जाट निवासी कुहाड़वास तहसील बुहाना जिला झुन्झुनूं, राज0
18. पुनम पुत्री कर्ण सिंह जाति जाट निवासी कुहाड़वास तहसील बुहाना जिला झुन्झुनूं, राज0
19. बानबीर पुत्र हेमराज जाति जाट निवासी कुहाड़वास तहसील बुहाना जिला झुन्झुनूं, राज0
20. मन्जू देवी पत्नी कुलदीप जाति जाट निवासी कुहाड़वास तहसील बुहाना जिला झुन्झुनूं, राज0
21. मनभावती पुत्र भोलाराम जाति जाट निवासी कुहाड़वास तहसील बुहाना जिला झुन्झुनूं, राज0
22. रघुवीर पुत्र भोलाराम जाति जाट निवासी कुहाड़वास तहसील बुहाना जिला झुन्झुनूं, राज0
23. रतन सिंह पुत्र फूल सिंह जाति जाट निवासी कुहाड़वास तहसील बुहाना जिला झुन्झुनूं, राज0
24. रतन सिंह पुत्र फूल सिंह जाति जाट निवासी कुहाड़वास तहसील बुहाना जिला झुन्झुनूं, राज0
25. श्री रमति पुत्री भोलाराम जाति जाट निवासी कुहाड़वास तहसील बुहाना जिला झुन्झुनूं, राज0
26. सज्जन सिंह पुत्र हेमराज जाति जाट निवासी कुहाड़वास तहसील बुहाना जिला झुन्झुनूं, राज0
27. सन्तोष देवी पत्नी कर्ण सिंह जाति जाट निवासी कुहाड़वास तहसील बुहाना जिला झुन्झुनूं, राज0
28. सुरत सिंह पुत्र फुल सिंह जाति जाट निवासी कुहाड़वास तहसील बुहाना जिला झुन्झुनूं, राज0
29. बड़ौदा राजस्थान क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक शाखा कुहाड़वास तहसील बुहाना जिला झुन्झुनूं, राज0
30. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार, बुहाना तहसील बुहाना जिला झुन्झुनूं, राज0

.......अनावेदकगण

उपखण्ड अधिकारी बुहाना, जिला झुन्झुनूं (राज.)

<u>प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251 (क)</u>

<u>राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955</u>

Signature Not Verified

Digitally signed by Sunil Kumar Chouhan
Date: 2023.09.22 12:31:24 IST
Reason: SelfAttested

निर्णय दिनांक 25–08–2023

यह आवेदन पत्र आवेदकगण की ओर से इस [illegible] पेश किया गया है कि वाके ग्राम कुहाड़वास तहसील [illegible] संवत 2075–2078 के हाल खाता संख्या 242 के ख.नं. 158 रकबा 1.12 है., ख.नं. 159 रकबा 1.10 है., ख.नं. 164 रकबा 1.18 है., ख.नं. 165 रकबा 1.27 है., ख.नं. 194 रकबा 9.86 है. कुल किता 5 कुल

(सुनील कुमार चौहान)
उपखण्ड अधिकारी बुहाना
जिला झुन्झुनूं (राज.)

रकबा 14.53 है. के खातेदार काश्तकार आवेदकगण व अनावेदक सं. 8 लगा. 28 है। खातेदार अमीलाल पुत्र काना फौत हो चुका है जिसके वारिशान अनावेदक सं. 8 लगा. 12 हैं। ग्राम कुहाड़वास स्थित भूमि जमाबन्दी संवत् 2075 से 2078 के हाल खाता सं. 204 केख.नं. 161 रकबा 4.38 है., ख.नं. 162 रकबा 0.02 है., ख.नं. 245 रकबा 5.41 है., ख.नं. 878/284 रकबा 0.12 है. कुल किता 4 कुल रकबा 9.93 है. के खातेदार अनावेदक सं. 1 लगा. 7 दर्ज है। खसरा नंबर 159 के दक्षिणी तरफ ख.नं. 161 स्थित है ख.नं. 161 के पश्चिमी तरफ कटानी रास्ता सड़क है जो कुहाड़वास से जैतपुर को जाती है। आवेदकगण ख.नं. 159 में कुआ बनाकर बिजली का कनेक्शन ले रखा है तथा ख.नं. 159 के दक्षिणी पश्चिमी कौने में मकान बनाकर निवास कर रहा है तथा आवेदकगण अपने खेत व घर में जाने के लिए ख.नं. 161 के उतरी तरफ एक प्रचलित रास्ता है जो दिनांक 06.09.1997 को आवेदकगण व अनावेदक सं. 1 लगा. 7 के पिता के साथ पंचायत में समझौते के अनुसार आवेदकगण के खेत ख.नं. 159 में जाने के लिए ख.नं. 161 के उतरी तरफ सड़क से ख.नं. 159 तक 12 फीट चौड़ा रास्ता छोड़ा गया था जिसमें सभी खातेदारों के हस्ताक्षर है जिससे आवेदकगण अपनी भूमि में आ जा सके तथा अपनी भूमि को काश्त कर सके तथा ख.नं. 159 मे बने आवेदकगण के मकानों में आ जा सके तथा यह रास्ता सहमति से लिया गया है लेकिन रिकार्ड में कटानी दर्ज नहीं होने के कारण अनावेदक सं. 1 लगा. 7 ने उक्त रास्ते को उनके खातेदारी में दर्ज होने के कारण बंद कर दिया है तथा आवेदकगण को अपनी फसल की बुवाई कटाई तथा अपनी भूमि में बने मकानों पर आने जाने के लिए कोई भी रास्ता नहीं है। इसलिए उक्त आवेदन पत्र अन्तर्गत धारा 251(क) पेश करना आवश्यक हुआ है। आवेदकगण को अपनी भूमि ख.नं. 159 मे दक्षिणी पश्चिमी कौने तक ग्राम कुहाड़वास से जैतपुर जाने वाली आम सड़क से ख.नं. 161 की उतरी सीमा के सहारे–सहारे 12 फीट चौड़ा रास्ते की आवश्यकता है जिसे नजरी नक्शे में मार्क ए से बी दर्शाया गया है। आवेदकगण उक्त रास्ते में काम आने वाली भूमि के बाबत नियमानुसार डी.एल.सी. रेट की दुगुनी राशि देने को तैयार है।

अतः आवेदन पत्र प्रस्तुत कर निवेदन है कि ग्राम कुहाड़वास तहसील बुहाना स्थित भूमि ख.नं. 159 के दक्षिणी तरफ स्थित ख.नं. 161 के पश्चिमी तरफ स्थित सड़क से ख.नं. 161 के उतरी मेड के सहारे–सहारे आवेदकगण की भूमि ख.नं. 159 के दक्षिणी पश्चिमी कौने तक 12 फीट चौड़ा रास्ता जिसे नजरी नक्शे में मार्क ए से बी दर्शाया गया है कायम कर राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद किया जावे।

आवेदन पत्र प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर किया गया। अनावेदकगण को जरिये नोटिस तलबी जारी की गई। अनावेदक सं. 1, 2 व 4 की ओर से जवाब आवेदन पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि आवेदकगण के पास जब रास्ता पहले से मौजूद है तो नया रास्ता कायम किये जाने का कोई प्रावधान नहीं है कुहाड़वास से जैतपुर जो सड़क जाती है उसीके समानान्तर कुहाड़वास से जैतपुर डालनवास हरियाणा में जाने वाला रास्ता ख.नं. 194 में से मौजूद है धारा 251(क) के [illegible] अधिनियम में रास्ता कायम करने का प्रावधान केवल तभी है जब मौके पर [illegible] मौजूद नहीं हो इसलिए अब नया रास्ता कायम नहीं किया जा सकता है ख.नं. 159 [illegible] 158 व 194 एक दूसरे से सटकर हैं, ख.नं. 194 खुद आवेदकगण [illegible] भी आवेदकगण का है तो वे अपनी भूमि में से रास्ता का उपयोग [illegible] कार तभी पैदा होते हैं तब वैकल्पिक रास्ता उपलब्ध नहीं हो इसलिए आवेदकगण कोई रास्ता प्राप्त नहीं कर सकते हैं। आवेदकगण का आवेदन पत्र मय खर्चा खारिज किया जावे।

Signature Not Verified
Digitally signed by Sunil Kumar Chouhan
Date: 2023.09.22 12:31:24 IST
Reason: SelfAttested

(सुनील कुमार चौहान)
उपखण्ड अधिकारी बुहाना
जिला झुन्झुनूं (राज.)

अनावेदक सं. 26 ने इकबाली जवाब आवेदन पत्र मय काउन्टर आवेदन पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि वाके ग्राम कुहाड़वास तहसील बुहाना स्थित भूमि ख.नं. 158 में जाने के लिए ख.नं. 161 के उतरी मेड के सहारे–सहारे 12 फुट चौड़ा रास्ता ख.नं. 159 से आगे पूर्व तरफ तक नजरी नक्शे के अन्तर्गत काटा जाकर राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद किया जावे। भूमि ख.नं. 159 के पूर्वी दक्षिण मेड से ख.नं. 158 तक की डीएलसी रेट की दुगने पैसे या भूमि के बदले भूमि अप्रार्थी सं. 26 देने को तैयार है।

अनावेदक सं. 8 लगा. 25 व 27, 28 ने इकबाली जवाब आवेदन प्रस्तुत कर आवेदकगण का आवेदन मुताबिक अनुतोष स्वीकार किये जाने की सहमति दी है।

अनावेदकगण सं. 3, 5 से 7 व 29 बावजूद सम्यक् सूचना के अनुपस्थित रहने पर इनके विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गई।

तहसीलदार, बुहाना से विवादित भूमि के सम्बंध में मौका कब्जा काश्त व राजस्व रिकार्ड की रिपोर्ट ली गई। तहसीलदार, बुहाना ने जरिये पत्र क्रमांकः भू.अ./2022/3793 दिनांक 20.12.2022 से भू–अभिलेख निरीक्षक वृत कुहाड़वास की मूल मौका रिपोर्ट मय नक्शा किश्तवार संलग्न कर भिजवाई है जो निम्नानुसार है :–

1. आवेदित रास्ते की आवश्यकता परम आवश्यक है तथा वह जोत मात्र सुविधाजनक उपयोग के लिए नहीं है।
2. विशेष रूप से किसी अन्य खातेदार की जोत में से होकर विशिष्ट रूप से नये मार्ग के मामले में, पहुंचने के वैकल्पिक साधनों का अभाव सिद्ध होता है।
3. प्रस्तावित रास्ता नक्शा ट्रेस में लाल स्याही से दर्शाया गया है।
4. वर्तमान डीएलसी दर तहसील कार्यालय से लिया जाना अपेक्षित है।
5. प्रस्तावित रास्ते में कोई पेड़ या निर्माण नहीं है।
6. प्रस्तावित रास्ता का रकबा 880 वर्गमीटर बनता है।

अप्रार्थीगण द्वारा तहसीलदार बुहाना से प्राप्त मौका रिपोर्ट पर आपत्ति पेश हुई तथा पक्षकार सहमत नही होने पर न्यायालय/ पीठासीन अधिकारी द्वारा दिनांक 20.07.2023 को स्वयं मौका निरीक्षण किया गया । मौके पर फर्द तैरूार की गई। न्यायालय के मौका निरीक्षण के समय आपत्ति में प्रदर्शित किया गया खसरा नम्बर 161 में से अंकित किया गया वह 1064 व0मी0 अधिक दूरी का होना पाया। धारा 251 ए के नियमों में स्पष्ट प्रावधान किया गया है कि जो रास्ता कम दूरी तथा सबसे सुलभ पाया जाता है, उसी का प्राथमिकता से लिया जावे। मौका रिपोर्ट दिनांक 20.12.2022 के अनुसार 880 व0मी0 का है। इस न्यायालय मौका रिपोर्ट दिनांक 20.12.2022 के अनुसार प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाना न्यायोचित पाता है।

बहस विद्वान अधिवक्ता उभय पक्षकारान सुनी गई। पत्रावली पर उपलब्ध प्रलेखीय दस्तावेजात एवं रिपोर्ट भू–अभिलेख निरीक्षक [illegible] का ध्यानपूर्वक अवलोकन एवं मनन किया गया। भू–अभिलेख निरीक्षक वृत कुहाड़वास ने अपनी रिपोर्ट के संलग्न नजरी नक्शा में स्पष्ट किया है कि आवेदकगण को प्रस्तावित रास्ते की आवश्यकता अत्यांतिक है। प्रस्तावित रास्ते (नजरी नक्शा में दर्शित) के अतिरिक्त अन्य कोई निकटतम दूरी का रास्ता पहुंच के लिए उपलब्ध नहीं है। आवेदकगण को खसरा नंबर 159 में पहुंचने हेतु नजरी नक्शे में लाल स्याही से अंकित मार्ग निकटतम होगा। प्रस्तावित रास्तें में आनी वाली भूमि का क्षेत्रफल 880 वर्गमीटर बनता है। आवेदकगण के पास अपनी खातेदारी भूमि ख.नं. 159

उपखण्ड अधिकारी बुहाना, जिला झुंझुनूं (राज.)

Signature Not Verified
Digitally signed by Sunil Kumar Chouhan
Date: 2023.09.22 12:31:24 IST
Reason: SelfAttested

(सुनील कुमार चौहान)
उपखण्ड अधिकारी बुहाना
जिला झुन्झुनूं (राज.)

में आने–जाने के लिए वैकल्पिक साधन का अभाव है। इस प्रकार आवेदकगण का आवेदन पत्र राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 251(क) के प्रावधानों की पूर्ति करता है। अतः आवेदकगण का आवेदन पत्र अन्तर्गत धारा 251(क) राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 स्वीकार किये जाने योग्य है।

<u>आदेश</u>

न्यायालय प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाना न्यायोचित पाता है। अतः मुताबिक मौका रिपोर्ट भू–अभिलेख निरीक्षण वृत कुहाड़वास के संलग्न नजरी नक्शा के आवेदकगण का आवेदन पत्र स्वीकार किया जाकर वाके ग्राम कुहाड़वास तहसील बुंहाना स्थित भूमि खसरा नंबर 159 में जाने के लिए भू–अभिलेख निरीक्षक वृत कुहाड़वास की मौका रिपोर्ट के संलग्न नजरी नक्शा (प्रदर्श–अ) में लाल स्याही से अंकितानुसार कायम किये जाने का आदेश दिया जाता है। रास्ते की भूमि की किस्म राजस्व रिकॉर्ड में "गैर मुमकिन रास्ता" के रूप मे दर्ज कर खाता संख्या 1 में दर्ज जावे। तहसीलदार बुहाना को आदेशित किया जाता है कि प्रतिकार की राशि की गणना ग्राम कुहाडवास की अधिकतम डी.एल.सी से निर्धारित कर दुगनी राशि नियमानुसार राजकोष में जमा होने पर सम्बन्धित खातेदार/अप्रार्थीगण खसरा नंबर 161 के खातेदारों/अनावेदकगणों को प्रतिकार की राशि नियमानुसार अदा करेंगें। तद्नुसार भूमि खसरा नंबर 161 के रकबे में से रास्ते की बाबत 880 वर्गमीटर भूमि निर्वापित कर राजस्व रिकार्ड में किस्म "गैर मुमकीन रास्ता" के रूप में राजकीय खाते में अभिलिखित करेंगे। तहसीलदार बुहाना रिकॉर्ड में अमल व तरमीम करे। रास्ता के सीमा चिन्ह कायम कायम किए जावे। तहसीलदार बुहाना का नक्शा ट्रेस प्रदर्श –"अ" निर्णय का अभिन्न अंग रहेगा। रहन यदि कोई हो तो रास्ता में जाने वाला रकबा रहन से मुक्त माना जावे।

(सुनील कुमार चौहान)
उपखण्ड अधिकारी एवं
पदेन सहायक कलक्टर, बुहाना

निर्णय आज दिनांक **25.08.2023** को मेरे द्वारा लिखाया जाकर, बाद मेरे हस्ताक्षर इस न्यायलय के मुद्राकित सरे इजलास सुनाया गया।

(सुनील कुमार चौहान)
उपखण्ड अधिकारी एवं
पदेन सहायक कलक्टर, बुहाना

सुनील कुमार चौहान
उपखण्ड अधिकारी बुहाना
जिला झुन्झुनू (राज.)

Signature Not Verified

Digitally signed by Sunil Kumar Chouhan
Date: 2023.09.22 12:31:24 IST
Reason: SelfAttested